पं.सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(नैक द्वारा ग्रेड A+ प्रदत्त)

दूरभाष क्रमांक : (07752) 210312 फैक्स : (07752) 213073

www.pssou.ac.in Email – registrar@pssou.ac.in

क्र. 1055 / क्षे.से.प्र. / 2026 बिलासपुर, दिनांक 09 / 07 / 2026

ऑनलाईन शिक्षा (Online Mode) पाठ्यक्रमों हेतु –प्रवेश अधिसूचना

शैक्षाणिक सत्र जुलाई से जून (2026 – 2027) के लिए विश्वविद्यालय द्वारा संचालित निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में ऑनलाईन शिक्षा (Online Mode) के अंतर्गत ऑनलाईन प्रवेश प्रारंभ किये जाते है।

- ऑनलाईन प्रवेश प्रारंभ होने की तिथि – 21 जुलाई 2026 पूर्वान्ह 10.00 बजे से।
- ऑनलाईन प्रवेश की अंतिम तिथि -- 15 सितम्बर 2026 मध्यरात्रि 11:50 बजे तक ।

स्नातक पाठ्यक्रम (Undergraduate Programs - UG)

क्र	पाठ्यक्रम का नाम	न्यूनतम आर्हता	अवधि
1	बी.ए.	10+2	03 वर्ष
2	बी. लिब एण्ड आई.एस.सी	स्नातक	01 वर्ष

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (Postgraduate Programs - PG)

क्र	पाठ्यक्रम का नाम	न्यूनतम आर्हता	अवधि
1	एम.ए.– शिक्षा	स्नातक	02 वर्ष
2	एम.ए.– अंग्रेजी	स्नातक	02 वर्ष
3	एम.ए.– हिंदी	स्नातक	02 वर्ष
4	एम.ए.--संस्कृत	स्नातक	02 वर्ष
5	एम.ए.– समाजशास्त्र	स्नातक	02 वर्ष
6	एम.ए.-- राजनीतिशास्त्र	स्नातक	02 वर्ष
7	एम.कॉम.	स्नातक (वाणिज्य समूह)	02 वर्ष
8	एम.एस.सी.(गणित)	बी.एस.सी.गणित / बी.ई	02 वर्ष
9	एम.लिब. एण्ड आई.एस.सी.	बी. लिब एण्ड आई.एस.सी.	01 वर्ष
10	एम.बी.ए.	स्नातक (प्रवेश परीक्षा द्वारा चयन)	02 वर्ष (सेमेस्टर आधारित)

टीप:–

1. विस्तृत जानकारी हेतु विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.pssou.ac.in में देखा जा सकता है।

ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु दिशा–निर्देश

1. ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के फार्म सही ढंग से भरने के लिए वि.वि. की वेबसाइट http://pssou.ac.in या https://www.pssou.net/portal/ में विजिट कर Online Mode Admission लिंक पर क्लिक करें।
2. ऑनलाइन फार्म भरने हेतु छात्र निम्न में से आवश्यक दस्तावेजो की स्कैन कॉपी अपने साथ तैयार रखें 10 वीं एवं अंतिम शैक्षणिक योग्यता, पात्रता प्रमाण–पत्र, प्रव्रजन प्रमाण--पत्र, चालान प्रति (Size 200 kb), पासपोर्ट साइज कलर फोटो (Size 50 kb) एवं अपना हस्ताक्षर (Size 20 kb)।
3. ऑनलाइन फार्म भरते समय हिंदी में अपना नाम, पिता/पति का नाम, एवं माता का नाम स्पष्ट भरें तथा सुनिश्चित करे कि नाम हिंदी में ही हो इसी के आधार पर प्रमाण–पत्र जारी किए जायेंगे।
4. छात्र प्रवेश फार्म में दी गई समस्त जानकारी (पाठ्यक्रम विवरण, अध्ययन केन्द्र, विषय आदि) सावधानी पूर्वक भरें तथा आवश्यक दस्तावेज, फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करें।

5. निर्धारित प्रवेश शुल्क का भुगतान दो प्रकार से किया जा सकेगा–

- ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से – क्रेडिट/डेबिट कार्ड (ATM Card), इंटरनेट बैंकिंग द्वारा।
- बैंक चालान के माध्यम से (ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा)।
- प्रवेशार्थी के लिए निः शुल्क पोर्टल की सुविधा है, प्रवेशार्थी से किसी भी प्रकार का पोर्टल शुल्क नही लिया जाएगा।

6. यदि विद्यार्थी चालान से भुगतान करना चाहता है तो विद्यार्थी पहले चालान द्वारा बैंक में शुल्क जमा करें तत्पश्चात् बैंक चालान लेकर प्रवेश फार्म भरें। जहाँ शुल्क भुगतान विवरण में चालान द्वारा शुल्क भुगतान को क्लिक करें, तथा चालान में अंकित बैंक का नाम जर्नल क्रमांक एवं चालान जमा करने का दिनाँक एवं राशि का विवरण भरना होगा। चालान को स्केन कर अपलोड करना होगा तथा ऑनलाइन फार्म पूर्ण रूप से भरने के पश्चात् विद्यार्थी भरे हुए फार्म की दो प्रति प्रिंट प्राप्त कर एक प्रति को बैंक चालान प्रति– ''कार्यालय प्रति (प्रवेश विभाग)'' के साथ अपने अध्ययन–केन्द्र में जमा करेगा। (चालान का प्रतिरूप छात्र वि.वि. के अध्ययन –केंन्द्रों से अथवा वि.वि. के वेबसाइट से प्राप्त कर सकते है।)
7. ऑनलाइन शुल्क का भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् विद्यार्थी भरे गए प्रवेश फार्म का स्लिप प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रखें।
8. छात्रों के प्रवेशित फार्म एवं जमा शुल्क का सत्यापन क्षेत्रीय–केंद्रों में स्वतः होगा। सत्यापित प्रवेश फॉर्म की सूचना 8 से 10 दिवस में शिक्षार्थी द्वारा दिए गए मोबाइल नं. में SMS के द्वारा दी जावेगी। फार्म एवं शुल्क वैध न पाये जाने पर विद्यार्थी को आपत्तियो की जानकारी SMS के द्वारा दी जावेगी तथा विद्यार्थी को इन आपत्तियों का निराकरण एक सप्ताह में पूरा करना होगा। अन्यथा विद्यार्थी को प्रवेश की पात्रता प्राप्त नहीं होगी, जिसका जिम्मेदार विद्यार्थी स्वयं होगा।
9. ऑनलाइन प्रवेश/पंजीयन प्रक्रिया अंतिम तिथि 15 सितम्बर 2026 मध्यरात्रि 11:50 बजे तक ।

आदेशानुसार

कुलसचिव

पृ.क्र. 1056/RSD/26 बिलासपुर, दिनांक / /2026

प्रतिलिपिः–

1. माननीय राज्यपाल के प्रमुख सचिव को माननीय राज्यपाल के सूचनार्थ।
2. सचिव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सूचनार्थ।
3. सचिव छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग को सूचनार्थ।
4. आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय को सूचनार्थ।
5. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
6. परीक्षा नियंत्रक को सूचनार्थ।
7. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
8. प्रभारी समस्त क्षेत्रीय केन्द्र बिलासपुर/ अम्बिकापुर/ रायपुर/ जगदलपुर/ दुर्ग/ जशपुर/ कॉकेर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9. प्रभारी ऑनलाईन सर्वर/ वेब सेल शाखा की ओर सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आदेश को विश्वविद्यालय की वेब साईट में अपलोड करें एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. विभागीय नस्ती हेतु।

ओ.एस.डी.

क्षेत्रीय सेवा प्रभाग